



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 05/2026/परीक्षा/दिनांक 08/09/2026

रोजगार नियोजन में प्रकाशन की तिथि: 09/09/2026

::विज्ञापन::

माइक्रो बायोलॉजिस्ट (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10/09/2026 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 09/10/2026 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/09/2026 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 09/10/2026 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 10/10/2026 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 12/10/2026 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।
6. ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 13/10/2026 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 15/10/2026 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रु. 500/- (रुपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।
7. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला हेतु माइक्रो बायोलॉजिस्ट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अज्ञा	अज्ञा	अपिब	अनारक्षित	अज्ञा	अज्ञा	अपिब			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	माइक्रो बायोलॉजिस्ट (खाद्य प्रयोगशाला)	1	-	1	1	-	-	-	-	-	3	(स्तर-12) 56100-177500
2	माइक्रो बायोलॉजिस्ट (औषधि प्रयोगशाला)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
कुल											5	

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होंगी एवं उक्त भर्ती माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी एस 4723/2015 एवं डब्ल्यू पी एस 1995/2017 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी। विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप:-

1. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।
3. छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन OA(One Arm)/OL(One Leg)/OAL(One Arm and One Leg)/HH(Hard of Hearing)/LV(Low Vision)/SLD(Specific Learning Disability)/DW(Dwarfism)/AAV(Acid Attack Victims)/LC(Leprosy Cured) श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। उक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य दिव्यांग अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
4. परीक्षा योजना परिशिष्ट 'दो', पाठ्यक्रम परिशिष्ट 'तीन', ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'चार' में उल्लेखित है।

रिक्तियों में आरक्षण:-

- (i) उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।
 - (ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएं।
6. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य:-

- (i) **पद का नाम :-** (क) माइक्रो बायोलॉजिस्ट (खाद्य प्रयोगशाला)
(ख) माइक्रो बायोलॉजिस्ट (औषधि प्रयोगशाला)
- (ii) **सेवा श्रेणी :-** राजपत्रित – द्वितीय श्रेणी
- (iii) **वेतन मैट्रिक्स :-** वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (56100-177500)
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
- (iv) **आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-**
- (क) **माइक्रो बायोलॉजिस्ट (खाद्य प्रयोगशाला) हेतु:-** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के उपबन्धों के अधीन खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्ति के लिए विहित अर्हता होनी चाहिए और उसे खाद्य विश्लेषक के रूप में पांच वर्षों का अनुभव अथवा किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में खाद्य परीक्षण का पांच वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

अथवा

एम.एस.सी. (माइक्रो बायोलॉजी) तथा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में खाद्य परीक्षण का पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

नोट :- खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के उपबन्धों के अधीन खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्ति के लिए विहित अर्हता हेतु **परिशिष्ट-एक** का अवलोकन करें।

- (ख) **माइक्रो बायोलॉजिस्ट (औषधि प्रयोगशाला) हेतु :-** ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के उपबन्धों के अधीन शासकीय विश्लेषक के रूप में नियुक्ति के लिए विहित अर्हता होनी चाहिए और उसे शासकीय विश्लेषक के रूप में पांच वर्षों का अनुभव अथवा किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में औषधि परीक्षण का पांच वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

अथवा

एम.एस.सी. (माइक्रो बायोलॉजी) तथा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में औषधि परीक्षण का पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

नोट :- ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के उपबन्धों के अधीन शासकीय विश्लेषक के रूप में नियुक्ति के लिए विहित अर्हता हेतु **परिशिष्ट-एक** का अवलोकन करें।

- (3) **परिवीक्षा अवधि:-** चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोट:-

- (i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का “प्रमाण-पत्र” ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
- (4) **निर्धारित आयु सीमा:-**

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2026 को 25 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट देय होगी अर्थात् अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटेजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- (iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:-“छटनी किये गये सरकारी सेवक” से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक

इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

- (iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
(छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 12/03/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।)
- (v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
- (vi) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (vii) छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।
- (viii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (ix) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित “शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं” को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (x) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
- (xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (xii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/209/2022/एक-3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों/पंचायत कर्मियों के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

महत्वपूर्ण टीप:-

- (a) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 18.01.2024 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (b) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।
- (c) **आयु की गणना दिनांक - 01.01.2026 के संदर्भ में की जाएगी।**
- (5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।
- (6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:-
साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। (अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)
- (ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूचियाँ।
- (iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र अर्हता प्राप्ति संबंधी विधिवत सूचना पत्र यथा-डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां।
- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र/सूचना पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।
- (iv) **जाति प्रमाण पत्र:-**
- (a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित (आयु/शुल्क/आरक्षण) लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

- (c) (i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरुद्ध नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा।
- (ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु साक्षात्कार की अंतिम तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।
- शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नति संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षों से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (d) यदि निर्धारित उच्चतर आय सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-
- (i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- (ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi) एवं 4(xii) के अंतर्गत उच्चतर आय सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियुक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (iii) विज्ञापन की कंडिका - 4 (vii) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आय सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।
- (iv) विज्ञापन की कंडिका - 4 (viii) के अन्तर्गत उच्चतर आय सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (v) विज्ञापन की कंडिका - 4 (ix) के अन्तर्गत उच्चतर आय सीमा में छूट के लिए “शहीद राजीव गांधी पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार” प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।
- (vi) विज्ञापन की कंडिका - 4 (x) के अन्तर्गत उच्चतर आय सीमा में छूट के लिए “सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव” का प्रमाण-पत्र।
- (vii) विज्ञापन की कंडिका - 4 (xi) के अन्तर्गत उच्चतर आय सीमा में छूट के लिए “सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता” का प्रमाण-पत्र।
- (7) **नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-**
- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
- (ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (8) **आपराधिक अभियोजन:-**
- (A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-
- (i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या
- (ii) पररूप धारण (इम्प्रसोनेशन) किया हो, या
- (iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या
- (iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
- (v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- (vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- (vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- (viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
- (ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
- (x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- (xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।
- (B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-
- (i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या
- (ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-
- (a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) **अनर्हता:-** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-

(i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) **चयन प्रक्रिया:-** विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा 'केवल' साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

टीप:- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा:-

(i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट-दो तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट-चार में प्रकाशित है।

(iii) **परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केन्द्र होगा।**

(iv) आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्र घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं।

(11) **ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क:-**

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए रूपए 300/- (रूपए तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपए 400/- (रूपए चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) माइक्रो बायोलॉजिस्ट (खाद्य प्रयोगशाला) एवं माइक्रो बायोलॉजिस्ट (औषधि प्रयोगशाला) पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करने होंगे। अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त दोनों पदों हेतु आवेदन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर एक ही रजिस्ट्रेशन आईडी (Registration ID) के माध्यम से किए जाएं। पृथक-पृथक रजिस्ट्रेशन आईडी (Registration ID) से आवेदन करने पर आवेदन अमान्य किए जा सकते हैं।

(iii) **छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा।** लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/साक्षात्कार समाप्ति के 10 दिवस के भीतर अपने डेशबोर्ड पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से परीक्षा शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत परीक्षा शुल्क वापसी के संबंध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे। केवल शुल्क वापसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित रहे थे केवल उन्हें ही परीक्षा शुल्क की राशि प्रविष्ट किए गए बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। त्रुटि सुधार/पोर्टल शुल्क तथा शुल्क भुगतान हेतु लिए गए सेवा कर एवं अन्य शुल्क वापस नहीं होंगे।

(12) ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।

(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा। श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

- (iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।
- (v) त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।
- (vi) सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंध प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।
- (13) **परीक्षा के संबंध में:-** (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)
- (i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी।
- (14) **अत्यन्त महत्वपूर्ण:-**
- (i) छत्तीसगढ़ निःशक्तजन/छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।
- (ii) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्र क्रमांक F.No. 29-6/2019-DD-III Dated 10/08/2022 के अनुसार अभ्यर्थी को प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए सह लेखक की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, सह लेखक के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। अभ्यर्थी स्वयं नियमानुसार सह लेखक की व्यवस्था कर सकते हैं अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर सकते हैं।
- (iii) स्वयं के अथवा जिला/संभाग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सह लेखक की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड से कम होनी चाहिए तथापि सह लेखक की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। अपना सह लेखक लाने या जिला/संभाग कार्यालय को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार का है। परीक्षा में सह लेखक की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थी जो जिला/संभाग कार्यालय से सह लेखक प्राप्त करना चाहते हो अथवा स्वयं सह लेखक लाना चाहते हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय विज्ञापन के परिशिष्ट-पांच, छः, सात एवं आठ के अनुसार उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 प्राप्त कर, प्रपत्र-1 में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-2 व प्रपत्र-3 में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-4 में सहलेखक के हस्ताक्षर प्राप्त कर जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक प्राप्त करने अथवा स्वयं अपने सह लेखक को परीक्षा दिवस के दिन अपने साथ ले जाने हेतु संबंधित जिला या संभाग कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेगा। स्वयं सहलेखक की व्यवस्था करने अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक की सुविधा लेने, दोनों ही स्थितियों में प्रपत्र 01, 02, 03 व 04 पूर्ण रूप से भरकर एवं संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित कराकर संबंधित जिला/संभाग कार्यालय में प्रस्तुत कर, सहलेखक संबंधी अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा परीक्षा दिवस के दिन अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
- (iv) नेत्रहीनता, दोनों बाजूओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। **परिशिष्ट पांच से आठ** तक उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को सहलेखक की सुविधा दी जाती है उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् परीक्षा तिथि के 05 दिन पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला/संभाग कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात् डाउनलोड किए गए प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें। जिला/संभाग कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी।
- (15) **यात्रा व्यय का भुगतान:-**
- (i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन **परीक्षा/साक्षात्कार** में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा।
- यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्ही अभ्यर्थियों को किया जाना है:-
- 1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो।
 - 2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्रोत से कोई आय न हो रही हो।
- नोट:-** आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा।
- (ii) परीक्षा आयोजित होने पर अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। गृह जिला को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा।
- (16) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- (17) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।
- (18) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सतत अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।
- (19) दावा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किया जाएगा।
- (20) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation) :-
इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/-

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

(क) माइक्रो बायोलॉजिस्ट (खाद्य प्रयोगशाला) हेतु -

1. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 की कण्डिका 2.1.4 (संशोधित अधिसूचना दिनांक 16 जनवरी 2023) के अनुसार खाद्य विश्लेषक की अर्हता निम्नानुसार है :-

(i) विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव विज्ञान या सूक्ष्मजीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या कृषि विज्ञान या पशु विज्ञान या मत्स्य विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा या खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण या डेयरी प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या पशु विज्ञान में स्नातक या मास्टर या डॉक्टरेट डिग्री रखता हो, या रसायनज्ञ संस्था (भारत) द्वारा खाद्य विश्लेषक के वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करके रसायनज्ञ संस्था (भारत) का कोई सहयुक्त हो, या ऐसे प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य अर्हता रखता हो तथा जिसे खाद्य विश्लेषण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

1. According to clause 2.1.4 of the Food Safety and Standards Rules, 2011 (amended notification dated 16 January 2023), the qualification of a Food Analyst is as follows:-

(i) holds a Bachelor's or Master's or Doctorate degree in Chemistry or Biochemistry or Microbiology or Dairy Chemistry or Agriculture Science or Animal Science or Fisheries Science or Biotechnology or Food Safety or Food Technology, Food and Nutrition or Dairy Technology or Oil Technology or Veterinary Sciences from a university established in India by law, or is an associate of the Institution of Chemists (India) by examination in the section of Food Analysts conducted by the Institution of Chemists (India) or any other equivalent qualification notified by the Food Authority with the prior approval of the Central Government and has not less than three years' experience in the analysis of food.

(ख) माइक्रो बायोलॉजिस्ट (औषधि प्रयोगशाला) हेतु -

1. ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के उपबंधों के अधीन शासकीय विश्लेषक की अर्हता :-

औषधि नियमावली 1945 के नियम 44 के तहत शैक्षणिक अर्हताएं अनुभव के मानदण्डों के तहत : औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अधीन नियुक्त किया जाने वाला शासकीय विश्लेषक ऐसा व्यक्ति होगा जो:-

(अ) चिकित्सा या विज्ञान या फार्मसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्नातक हो, [किसी ऐसे विश्वविद्यालय से जो भारत में विधि द्वारा स्थापित हो, अथवा उसके समकक्ष ऐसी अर्हता रखता हो जिसे इस प्रयोजन हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता एवं अधिसूचित किया गया हो] तथा जिसने स्नातक पश्चात् औषधियों के परीक्षण में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो, ऐसी प्रयोगशाला में जो—
(i) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त शासकीय विश्लेषक के नियंत्रण में हो; अथवा (ii) परीक्षण प्रयोगशाला के प्रमुख के नियंत्रण में हो, या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु अनुमोदित संस्था [या जिसने केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में औषधियों के परीक्षण, जिसमें अनुसूची C की वस्तुएँ भी सम्मिलित हैं, का दो वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण किया हो],

अथवा

(ब) चिकित्सा या विज्ञान या फार्मसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो [किसी ऐसे विश्वविद्यालय से जो भारत में विधि द्वारा स्थापित हो, अथवा उसके समकक्ष ऐसी अर्हता रखता हो जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता एवं अधिसूचित किया गया हो] अथवा इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट (इंडिया) का एसोसिएटशिप डिप्लोमा रखता हो जिसकी परीक्षा अन्य विषयों में से एक विषय

‘एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स’ के साथ उत्तीर्ण की हो तथा स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात औषधियों के परीक्षण का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो, ऐसी प्रयोगशाला में जो— (i) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त शासकीय विश्लेषक के नियंत्रण में हो; अथवा (ii) परीक्षण प्रयोगशाला के प्रमुख के नियंत्रण में हो, या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु अनुमोदित संस्था या जिसने केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में औषधियों के परीक्षण, जिसमें अनुसूची C की वस्तुएँ भी सम्मिलित हों, का दो वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण किया हो;

परंतु यह कि—

(i) अनुसूची C की वस्तुओं के परीक्षण हेतु :-

(ia) जो व्यक्ति खंड (अ) या (ब) के अंतर्गत नियुक्त हो तथा जिसके पास चिकित्सा, शरीर विज्ञान (Physiology), फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फार्मसी की डिग्री हो, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित संस्था या प्रयोगशाला में उक्त वस्तुओं के परीक्षण का कम से कम छह माह का अनुभव या प्रशिक्षण होना चाहिए;

(ib) जो व्यक्ति खंड (अ) या (ब) के अंतर्गत नियुक्त हो परंतु जिसके पास उपर्युक्त विषयों में डिग्री न हो, उसे अनुसूची C की औषधियों के परीक्षण का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव या प्रशिक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित संस्था या प्रयोगशाला में होना चाहिए; अथवा उसने सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में अनुसूची C की औषधियों के परीक्षण का दो वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण किया हो;

(iii) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से औषधि निर्माण से संबंधित व्यापार या व्यवसाय में संलग्न हो, किसी क्षेत्र का शासकीय विश्लेषक नियुक्त नहीं किया जाएगा।

परंतु यह कि पशु चिकित्सा उपयोग हेतु एंटीसेरा, टॉक्सॉइड, वैक्सीन्स तथा डायग्नोस्टिक एंटीजेन्स के परीक्षण के लिए नियुक्त व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो वेटेरिनरी साइंस, सामान्य विज्ञान, चिकित्सा या फार्मसी में स्नातक हो तथा जैविक उत्पादों के मानकीकरण में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव रखता हो; अथवा वेटेरिनरी साइंस, सामान्य विज्ञान, चिकित्सा, फार्मसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो तथा जैविक उत्पादों के मानकीकरण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखता हो।

1. According to The Drugs & Cosmetics Rules, 1945 Qualifications of Government Analyst.- A person appointed as a Government Analyst under the Act shall be a person who-

(a) is a graduate in Medicine or Science or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry of a [University established in India by the law or has an equivalent qualification recognised and notified by the Central Government for such purpose] and has had not less than five years' post-graduate experience in the testing of drugs in a laboratory under the control of (i) a Government Analyst appointed under the Act, or (ii) the head of an Institution or testing laboratory approved for the purpose by the appointing authority [or has completed two years' training on testing of drugs, including items stated in Schedule C, in Central Drugs Laboratory], or

(b) possesses a post-graduate degree in Medicine or Science or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry of a [University established in India by the law or has an equivalent qualification recognised and notified by the Central Government for such purpose] or possesses the Associateship Diploma of the Institution of Chemists (India) obtained by passing the said examination with 'Analysis of Drugs and Pharmaceuticals' as one of the subjects and has had

after obtaining the said post-graduate degree or diploma not less than three Years' experience in the testing of drugs in a laboratory under the control of (i) a Government Analyst appointed under the Act, or (ii) the head of an Institution or testing laboratory approved for the purpose by the appointing authority [or has completed two years' training on testing of drugs, including items stated in Schedule C, in Central Drugs Laboratory]:

Provided that -

2(i) for the purpose of examination of items in Schedule C,-

(ia) the persons appointed under clause (a) or (b) and having degree in Medicine, Physiology, Pharmacology, Microbiology, Pharmacy should have experience or training in testing of said items in an institution or laboratory approved by the appointing authority for a period of not less than six months;

(ib) the person appointed under clause (a) or (b) but not having degree in the above subjects should have experience or training in testing of the said Schedule C drugs for a period of not less than three years in an institution or laboratory approved by the appointing authority or have completed two years training on testing of drugs including item stated in Schedule C in Central Drugs Laboratory;]

(iii) no person who is engaged directly or indirectly in any trade or business connected with the manufacture of drugs shall be appointed as a Government Analyst for any area:

Provided further that for the purpose of examination of Antisera, Toxoid and Vaccines and Diagnostic Antigens for Veterinary use, the person appointed shall be a person who is a graduate in Veterinary Science, or general science, or medicine or pharmacy and has had not less than five years' experience in the standardization of biological products or a person holding a post-graduate degree in Veterinary Science, or General Science, or medicine or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry with an experience of not less than three years in the standardisation of biological products.

परिशिष्ट-5

प्रपत्र-1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (घ) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए, अर्थात् **40 प्रतिशत से कम** दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासी के पुत्र/पुत्री, आयु वर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति) (उम्मीदवार का नाम) जो (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की है और यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

- उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।
- यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और तक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.....अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-5

प्रपत्र-1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (घ) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए, अर्थात् **40 प्रतिशत से अधिक** दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासी के पुत्र/पुत्री, आयु वर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति) (उम्मीदवार का नाम) जो (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की है और यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।
3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और तक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थैरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.....अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-6

प्रपत्र-2

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (घ) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात् **40 प्रतिशत से कम** दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो(राज्य का नाम) के..... (जिले) में (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं मेरी शैक्षणिक योग्यता है।

2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि (लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।
3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिक है)

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-6

प्रपत्र-2

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (घ) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात् **40 प्रतिशत से अधिक** दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो(राज्य का नाम) के..... (जिले) में (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं मेरी शैक्षणिक योग्यता है।

2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि (लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।
3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिक है)

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-7

प्रपत्र-3

प्रति,

कलेक्टर,

जिला -----

विषय:- आयोग द्वारा आयोजित ----- परीक्षा में सह लेखक प्रदाय करने संबंधी।

---00---

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं ----- पिता श्री ----- आयोग द्वारा आयोजित -----

परीक्षा दिनांक ----- में सम्मिलित हो रहा/रही हूँ। इस परीक्षा में मैं एक दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित

दिव्यांग (----- प्रतिशत) अभ्यर्थी हूँ।

मैं दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित दिव्यांग अभ्यर्थी होने के कारण स्वयं लिख नहीं सकता/सकती हूँ।

अतः मैं श्री/सुश्री ----- पिता श्री ----- को सह लेखक के रूप में रखना चाहता हूँ/चाहती हूँ।

अतः आपसे निवेदन है कि सह लेखक के रूप में श्री/सुश्री ----- पिता श्री ----- को सह लेखक के रूप में

मान्य करते हुए प्रदाय करने की कृपा करें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर -----

अभ्यर्थी का नाम -----

अभ्यर्थी का ई-मेल -----

अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर -----

परिशिष्ट-8

प्रपत्र-4

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर
सह लेखक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले स्व-घोषणा पत्र

1. परीक्षा का नाम वर्ष
2. परीक्षा का प्रकार (ऑनलाइन/ऑफलाइन)
3. परीक्षा का दिन व समय
4. परीक्षा केन्द्र का क्रमांक व नाम
5. अभ्यर्थी का नाम
6. अभ्यर्थी का अनुक्रमांक
7. अभ्यर्थी के पिता का नाम
8. सह लेखक का नाम
9. सह लेखक के पिता का नाम
10. सह लेखक द्वारा धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता

स्व-घोषणा पत्र

मैं निष्ठापूर्वक यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं स्वयं की सहमति से अभ्यर्थी श्री/सुश्री को परीक्षा में उनके कहे अनुसार परीक्षा दिलाने में मदद करने के लिए सह लेखक के रूप में उपस्थित हुआ/हुई हूँ। मेरी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता है। मेरे द्वारा स्वयं के विवेक से किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखने अथवा सुधारने का प्रयास नहीं किया जाएगा। उक्त दिव्यांग अभ्यर्थी के कहे अनुसार ही शब्दशः उत्तर लिखे अथवा चुने जाएंगे। मेरे द्वारा की गई उक्त घोषणा का कोई भी अंश चयन के किसी भी स्तर पर अथवा चयन के पश्चात कभी भी गलत पाया जाता है, तो मेरे विरुद्ध अनुशासनिक/कानूनी कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व/अथवा संबंधित विभाग को होगा तथा इस संबंध में मेरे द्वारा किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

सह लेखक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/
अंगुठे का निशान

केंद्राध्यक्षक के हस्ताक्षर व
केंद्र की सील

परिशिष्ट-दो
“परीक्षा योजना”

- (1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।

परीक्षा	-	300 अंक
साक्षात्कार	-	30 अंक

कुल	-	330 अंक

- (2) परीक्षा:-

- (i) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा:-

प्रश्न पत्र

प्रश्नों की संख्या 150 3:00 घंटे अंक 300

भाग 1 – सामान्य ज्ञान (भाग 1 एवं 2) - 50 प्रश्न (100 अंक)

भाग 2 – माइक्रोबायोलॉजी (भाग 3) - 100 प्रश्न (200 अंक)

कुल - 150 प्रश्न (300 अंक)

- (ii) प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा।

- (3) परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, और द में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/निकटतम सही होगा, अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स या द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।

टीप :- अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आयोग परंपरागत परीक्षा के स्थान पर कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) आयोजित कर सकेगा।

- (4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा: -

$$MO = M \times R - \frac{1}{3} M \times W$$

जहां **MO** = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, **M** = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, **R** = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा **W** = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी।

- (5) पाठ्यक्रम की जानकारी **परिशिष्ट-दो** में दी गई है।

- (6) लिखित/कौशल/अनुवीक्षण परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे अनर्ह घोषित किया जाएगा।

- (7) **साक्षात्कार:-** साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है।

- (8) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

- (9) **साक्षात्कार** के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।

- (10) **चयन सूची:-** उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

- (11) चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार प्रावधानित होगी।

OOOOOO

परिशिष्ट-तीन
“पाठ्यक्रम”

Part I – General Studies	भाग 1 – सामान्य अध्ययन	अंक
- History of Chhattisgarh + India & National Movement Geography: India & CG – physical, climate, water, minerals Polity: Constitution, CG administrative structure, Panchayati Raj Economy: CG – forest, agriculture, industry, tribal economy Culture of CG: Tribes, festivals, dance, literature, archaeology, tourism Current Affairs: India & CG, CG specific issues Environment: Biodiversity, pollution, climate change	- छत्तीसगढ़ का इतिहास, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन भूगोल: भारत और छत्तीसगढ़ – भौगोलिक, जलवायु, जल, खनिज शासन प्रणाली: संविधान, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना, पंचायती राज अर्थव्यवस्था: छत्तीसगढ़ – वन, कृषि, उद्योग, जनजातीय अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की संस्कृति: जनजातियाँ, त्यौहार, नृत्य, साहित्य, पुरातत्व, पर्यटन समसामयिक घटनाएँ: भारत और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से संबंधित विशिष्ट मुद्दे पर्यावरण: जैव विविधता, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन	50
Part II – Aptitude Test	भाग 2 – योग्यता परीक्षण	
Quantitative Aptitude: Percentage, ratio, SI/CI, time-work, profit-loss Logical and analytical Reasoning: Series, coding-decoding, blood relation, direction Data Interpretation: Table, bar, pie chart Basic Computer knowledge: MS Office, internet, email	मात्रात्मक योग्यता: प्रतिशत, अनुपात, साधारण ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज, समय-कार्य, लाभ-हानि तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क: श्रृंखला, कोडिंग-डी कोडिंग, रक्त संबंध, दिशा डेटा व्याख्या: सारणी, बार चार्ट, पाई चार्ट बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान: एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल	50
Total (योग)		100

Part III – For Microbiologist (Food Testing Laboratory)	भाग 3 – माइक्रो बायोलॉजिस्ट (खाद्य प्रयोगशाला) हेतु	अंक
Unit 1: General & Food Microbiology • Microbial classification, morphology of bacteria, yeast, mold, viruses • Factors affecting growth in foods: pH, Aw, temperature, Eh • Food spoilage: cereals, fruits, milk, vegetables, meat, fish, canned foods • Food preservation: heat, low temp, drying, chemical, irradiation, hurdle tech • Food-borne pathogens: Salmonella, Shigella, E. coli, Vibrio, Staph. aureus, Clostridium botulinum, Listeria, Bacillus cereus etc. • Food-borne intoxications & infections: symptoms, sources, prevention • Indicators of food safety: coliforms, fecal streptococci, E. coli, Enterobacteriaceae etc.	इकाई 1: सामान्य एवं खाद्य सूक्ष्मजीवविज्ञान • सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण, जीवाणुओं, खमीर, फफूंद और विषाणुओं की आकृति विज्ञान • खाद्य पदार्थों में वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक: pH, Aw, तापमान, Eh • खाद्य पदार्थों का अपक्षय: अनाज, फल, सब्जियाँ, मांस, मछली, दूध, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ • खाद्य संरक्षण: ऊष्मा, कम तापमान, सुखाना, रसायन, विकिरण, अवरोधन तकनीक • खाद्य जनित रोगजनक: साल्मोनेला, शिगेला, ई. कोलाई, विब्रियो, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, लिस्तेरिया, बैसिलस सेरेस इत्यादि • खाद्य जनित विषाक्तता और संक्रमण: लक्षण, स्रोत, रोकथाम • खाद्य सुरक्षा के संकेतक: कोलीफॉर्म, फेकल स्ट्रेप्टोकोकी, ई-कोलाई, एंटरोबैक्टीरियासी इत्यादि	30
Unit 2: Dairy & Food Fermentation • Milk microbiology: sources of contamination, standard plate count, MBRT, DMC • Fermented foods: curd, yogurt, cheese, idli, dosa, sauerkraut, soy products • Probiotics, prebiotics, starter cultures • Industrial production: alcohol, vinegar, citric acid, enzymes, SCP	इकाई 2: दुग्ध एवं खाद्य किण्वन • दूध सूक्ष्मजीवविज्ञान: संदूषण के स्रोत, मानक प्लेट गणना, एमबीआरटी, डीएमसी • किण्वित खाद्य पदार्थ: दही, योगर्ट, पनीर, इडली, डोसा, साउरक्रॉट, सोया उत्पाद • प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, स्टार्टर कल्चर • औद्योगिक उत्पादन: अल्कोहल, सिरका, साइट्रिक एसिड, एंजाइम, एससीपी	30
Unit 3: Food Analysis & Lab Techniques Sampling & Sample Preparation • FSSAI guidelines for food sample collection, preservation, transport • Microbiological Analysis as per FSSAI: TPC, yeast & mold count, coliform, E. coli, Salmonella, Shigella, S. aureus, B. cereus, Clostridium, Listeria etc. • Media & Biochemical Tests: Selective/differential media, IMViC, TSI, MUG, coagulase, catalase • Rapid Methods: PCR, ELISA, VIDAL, Petrifilm for food pathogens • Instrumentation: Laminar flow, Biosafety Cabinet, autoclave, incubator, colony counter, pH meter,	इकाई 3: खाद्य विश्लेषण और प्रयोगशाला तकनीकें, नमूना संग्रह और नमूना तैयारी • खाद्य नमूनों के संग्रह, संरक्षण और परिवहन के लिए FSSAI दिशानिर्देश • FSSAI के अनुसार सूक्ष्मजीवविज्ञानी विश्लेषण: TPC, यीस्ट और मोल्ड की संख्या, कोलीफॉर्म, ई-कोलाई, साल्मोनेला, शिगेला, एस. ऑरियस, बी. सेरेस, क्लोस्ट्रिडियम, लिस्तेरिया इत्यादि • माध्यम और जैव रासायनिक परीक्षण: चयनात्मक/विभेदक माध्यम, IMViC, TSI, MUG, कोगुलेज, कैटालेज • त्वरित परीक्षण विधियाँ: PCR, ELISA, VIDAL, खाद्य रोगजनकों के लिए पेट्रीफिल्म • उपकरण: लैमिनार फ्लो, बायोसेफ्टी कैबिनेट,	30

water activity meter, Mass Spectrophotometer. • Quality Systems: GLP, NABL, ISO 17025, method verification and validation, uncertainty.	ऑटोकलेव, इन्क्यूबेटर, कॉलोनी काउंटर, pH मीटर, जल सक्रियता मीटर, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर • गुणवत्ता प्रणाली: GLP, NABL, ISO 17025, विधि सत्यापन और प्रमाणीकरण, अनिश्चितता.	
Unit 4: Food Laws & Standards • FSS Act 2006: Key definitions, functions of FSSAI, penalties • FSS Regulations: Food Safety Standards – microbiological criteria for milk, meat, fish, RTE, packaged water • CODEX: HACCP, GMP, GHP principles • Labelling & Claims: FSSAI logo, veg/non-veg, nutritional information. • Role of Food Analyst & Microbiologist in state food lab	इकाई 4 : खाद्य अधिनियम और मानक • FSS अधिनियम: 2006 मुख्य परिभाषाएँ, FSSAI के कार्य, दंड • FSS विनियम: खाद्य सुरक्षा मानक दूध, मांस, मछली, आरटीई, पैकेटबंद पानी के लिए सूक्ष्मजीवविज्ञानी मानदंड • CODEX: HACCP, GMP, GHP सिद्धांत • लेबलिंग और दावे: FSSAI लोगो, शाकाहारी/मांसाहारी, पोषण संबंधी जानकारी • राज्य खाद्य प्रयोगशाला में खाद्य विश्लेषक और सूक्ष्मजीवविज्ञानी की भूमिका	30
Unit 5: Applied Microbiology & Safety • Water Microbiology: Potable water standards, MPN test, membrane filter tech • Sanitation: Cleaning, CIP, sanitizers, environmental monitoring in food plant • Mycotoxins: Aflatoxin, patulin, ochratoxin – sources, testing, limits • Antimicrobial Resistance: MDR organisms in food chain • Biofilms & Food Safety	इकाई 5 : सूक्ष्मजीव विज्ञान अनुप्रयोग और सुरक्षा • जल सूक्ष्मजीव विज्ञान: पेयजल मानक, एम्पीएन परीक्षण, झिल्ली निरोधक तकनीक • स्वच्छता: सफाई, सीआईपी, सैनिटाइजर, खाद्य संयंत्र में पर्यावरणीय निगरानी • माइकोटॉक्सिन: एफ्लाटॉक्सिन, पैटुलिन, ओक्रैटॉक्सिन स्रोत, परीक्षण, सीमाएँ • रोगाणुरोधी प्रतिरोध: खाद्य श्रृंखला में एमडीआर जीव • बायोफिल्म और खाद्य सुरक्षा	30
Unit 6: Molecular Biology & Biotech • DNA/RNA basics, PCR for pathogen detection • GM foods: testing, labelling requirements in India • Biosensors in food analysis	इकाई 6: आणविक जीवविज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी • डीएनए/आरएनए की बुनियादी जानकारी, रोगजनकों की पहचान के लिए पीसीआर • जीएम खाद्य पदार्थ: परीक्षण, भारत में लेबलिंग संबंधी आवश्यकताएं • खाद्य विश्लेषण में जैव सेंसर	25
Unit 7 : Laboratory Eco-system • Quality Management System (QMS) • Primary Laboratory categories and standards. • Equipment calibration and traceability. • INFoLNET, LIMS • Scope of lab and Integrated assessment.	यूनिट : 7 प्रयोगशाला इकोसिस्टम • गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (QMS) • प्राथमिक प्रयोगशाला श्रेणियाँ और मानक । • उपकरण अंशांकन और पता लगाने की क्षमता । • INFoLNET, LIMS • प्रयोगशाला का दायरा और एकीकृत मूल्यांकन ।	25
Total (योग)		200

Part III – For Microbiologist (Drug Testing Laboratory)	भाग 3 – माइक्रो बायोलॉजिस्ट (औषधि प्रयोगशाला) हेतु	अंक
Unit 1: Pharmaceutical Micro biology :- Structure, classification, growth and nutrition of microorganisms, metabolism, genetics, mutation Infection, pathogenicity, viruses, fungi etc.	इकाई 1: औषधीय सूक्ष्म जीवविज्ञान:- सूक्ष्मजीवों की संरचना, वर्गीकरण, वृद्धि एवं पोषण, चयापचय, आनुवंशिकी, उत्परिवर्तन संक्रमण, रोगजनकता, विषाणु, कवक आदि।	25
Unit 2 : Pharmacopoeial Microbiology (IP/USP/BP Based Testing):- Microbial limit test, tests for specified microorganisms, sterility testing, bacterial endotoxin test (LAL), antimicrobial effectiveness test, pyrogen/endotoxin test, biological indicators.	इकाई 2 : फार्माकोपीयल सूक्ष्मजीवविज्ञान (IP/USP/BP आधारित परीक्षण):- माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट, निर्दिष्ट सूक्ष्मजीवों के लिए परीक्षण, स्टेरिलिटी परीक्षण, बैक्टेरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट (LAL), एंटीमाइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्ट, पाइरोजन/एंडोटॉक्सिन टेस्ट, बायोलॉजिकल इंडिकेटर।	30
Unit 3: Industrial Microbiology, GMP & Sterility Assurance:- Clean room classification, environmental monitoring, water systems (PW & WFI), aseptic processing, contamination control, validation and qualification, documentation	इकाई 3 : औद्योगिक सूक्ष्मजीवविज्ञान, जीएमपी एवं स्टेरिलिटी एश्योरेंस:- क्लीन रूम वर्गीकरण, पर्यावरण निगरानी प्रणाली, जल प्रणाली (PW & WFI), एसेप्टिक प्रोसेसिंग, संक्रमण नियंत्रण, वैधिकीकरण एवं क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन।	25
Unit 4: Immunology, Biotechnology & Molecular Biology:- Immune system, antigen-antibody reactions, ELISA, vaccines and sera, monoclonal antibodies, recombinant DNA technology, gene cloning, bioprocess.	इकाई :4 प्रतिरक्षाविज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी एवं आणविक जीवविज्ञान:- प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिजन-प्रतिरक्षी अभिक्रिया, ELISA, वैक्सीन एवं सीरम, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, रीकॉम्बिनेंट DNA तकनीक, जीन क्लोनिंग, बायोप्रोसेस।	25
Unit 5: Testing of Biological Products, Vaccines & Medicines:- Vaccines, sera and immunoglobulins, blood and blood products, recombinant/biological products, microbiological evaluation of medical devices.	इकाई 5: जैविक उत्पादों, टीकों एवं औषधियों का परीक्षण:- टीके, सीरम एवं इम्युनोग्लोबुलिन रक्त एवं रक्त उत्पाद, रीकॉम्बिनेंट/बायोलॉजिकल उत्पाद, मेडिकल डिवाइस की माइक्रोबायोलॉजिकल मूल्यांकन।	15
Unit 6: GMP/GLP (Drugs & Cosmetics Act, Rules & GMP/GLP):- Drugs & Cosmetics Act, 1940, Rules, 1945, GLP, Schedule M, Schedule M-III, Schedule C & C(1) 20, powers and duties of Government Analyst, sampling and testing, legal provisions.	इकाई 6: GMP/GLP (औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, नियम तथा GMP/GLP):- Drugs & Cosmetics Act, 1940, Rules, 1945, GLP, Schedule M, Schedule M-III, Schedule C & C(1) 20, शासकीय विश्लेषक के अधिकार एवं कर्तव्य, नमूना संग्रह एवं परीक्षण विधिक प्रावधान	20
Unit 7 : Laboratory Equipment & Analytical Techniques Autoclave, BSC, LAF, incubator, colony counter, TOC analyzer, particle counter, ELISA reader, PCR, gene sequencer, gel electrophoresis, equipment calibration and validation.	इकाई 7 : प्रयोगशाला उपकरण एवं विश्लेषणात्मक तकनीकें ऑटोक्लेव, BSC, LAF, इन्क्यूबेटर, कॉलोनी काउंटर, TOC एनालाइजर, पार्टिकल काउंटर, ELISA रीडर, PCR, जीन सीक्वेंसर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उपकरण अंशांकन एवं प्रमाणीकरण।	15
Unit 8 : Biosafety, Biomedical Waste & Bio-risk	इकाई 8 : बायोसुरक्षा, बायोमेडिकल वेस्ट एवं जैव-	10

Management Biosafety levels (BSL-1 to BSL-4), risk assessment, personal protection, biomedical waste management, emergency procedures.	जोखिम प्रबंधन बायोसेफ्टी स्तर (BSL-1 to BSL-4), जोखिम मूल्यांकन, व्यक्तिगत सुरक्षा, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, आपातकालीन कार्यवाही।	
Unit 9 : Biostatistics, Data Analysis & Computer Applications Statistical calculations, mean, standard deviation, hypothesis testing, graphs, data interpretation, MS Office, laboratory data management software, LIMS etc.	इकाई 9 : जैव-सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग सांख्यिकीय गणना, औसत, मानक विचलन, परिकल्पना परीक्षण, ग्राफ, डेटा व्याख्या, MS Office, लैब डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, LIMS आदि।	15
Unit 10 : Medical Microbiology Pathogenic bacteria, viruses, fungi and parasites, antimicrobial resistance, hospital infections, immunology, medical microbiology.	इकाई 10 : चिकित्सीय सूक्ष्मजीवविज्ञान रोगजनक जीवाणु, विषाणु एवं परजीवी, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध, हॉस्पिटल संक्रमण, इम्यूनोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी।	10
Unit 11 : Recent Advances & Current Scientific Developments Recent advances in diagnostic tools, vaccine technology, genomics, proteomics, microbiome, regulatory guidelines and latest scientific research.	इकाई 11 : नवीनतम विकास एवं समसामयिक वैज्ञानिक प्रगति नए डायग्नोस्टिक उपकरण, वैक्सीन तकनीक, जीनोमिक्स, प्रोटीओमिक्स, माइक्रोबायोम, नियामक दिशानिर्देश एवं हालिया वैज्ञानिक अनुसंधान।	10
Total (योग)		200

परिशिष्ट-चार

“ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी”

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:- (कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें) ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

- (1) पूर्व से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु रजिस्टर्ड अभ्यर्थी अपने लॉगिन आई. डी. व पासवर्ड का प्रयोग कर आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. एवं पहचान पत्र आई.डी. नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि कर Generate OTP बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त हुए One Time Password (OTP) की प्रविष्टि हेतु दो टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त होंगे जिनमें सही OTP प्रविष्ट करने पर अभ्यर्थी को अपना फोटो कैप्चर करने हेतु, प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से मोबाइल कैमरा की मदद से Open Camera बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। पूर्व से रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को भी लॉगिन करने तथा कैप्चर फोटो बटन को क्लिक करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, लाइव फोटो अपलोड करने हेतु लिंक प्राप्त होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा कैप्चर किए हुए फोटो में उसका चेहरा स्पष्ट हो, दोनो कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हों तथा आंखें खुली हुई हो। फोटो कैप्चर करते समय ऐसी दीवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करें जो एक ही हल्के रंग (Light Colour) का हो। अभ्यर्थी यह प्रयास करें कि कैप्चर किया हुआ चेहरा कैप्चर स्क्रीन के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर आए। यदि अभ्यर्थी कैप्चर किए हुए फोटो को बदलना चाहे तो Re Capture बटन का प्रयोग कर वे ऐसा कर सकते हैं। पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट चेहरे युक्त फोटो को कैप्चर करने के पश्चात् Verify & Upload बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी लाइव फोटो अपलोड कर सकता है। फोटो अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी Upload Signature को क्लिक कर अपना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।
ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100 KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्कैन किया जाए, खाली बैकग्राउंड को नहीं।
- (2) फोटो एवं हस्ताक्षर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात् Save बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध आवेदन किए जाने वाले पद से संबंधित Apply बटन को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रविष्ट किए गए ई-मेल आई.डी. पर लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनकी मदद से अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां कर लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की पावती पर Application Status के सामने Submitted दर्शित हो रहा हो तथा Payment Status के सामने Paid दर्शित हो रहा हो, ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (3) अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाइल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाइल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाइल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जा सकती है।
- (4) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से पत्र/SMS से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
- (5) आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य उपलब्ध माध्यम से कर सकते हैं।
- (6) ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।
- (7) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करें।
- (8) ऑनलाइन आवेदन Submit करने तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगे जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु आयोग को प्रेषित अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (9) ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।
- (10) आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार व/या सशुल्क त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें।
- (11) **ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क:-**
- (i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।
 - (ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार तथा सशुल्क त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।
 - (iii) पोर्टल शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोट:-

- (i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।
- (ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।
- (iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई या अन्य किसी भी उपलब्ध माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैंकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदन को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र:-

- (1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।
- (2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- (3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।
- (4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु मूल पहचान पत्र जैसे – मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड अथवा ई-आधार कार्ड में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में परीक्षा केन्द्र/साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

~~~~~